



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2019/ज्येष्ठ 2, 1941

No. 316] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2019/JYAISTHA 2, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

सा.का.नि. 377(ब).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 132 की उप-धारा (10) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (संव्यवहार के लिए बैठक) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से इस अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "पूर्णकालिक सदस्य" से सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस रूप में अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त किया गया है और इसमें अध्यक्ष शामिल है;

(ड) “सदस्य” से इस अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है, इसमें अध्यक्ष भी हैं।

(च) “अंशकालिक सदस्य” से किसी पूर्णकालिक सदस्य से भिन्न कोई सदस्यअभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

(छ) “सचिव”से इस अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (11) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी भी है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. संव्यवहार के लिए बैठकें और उनकी प्रक्रिया.- (1) प्राधिकरण की बैठकें इसके कार्य को निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ साधारणतः नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी।

परन्तु प्राधिकरण अपने अन्य कार्यालयों में अथवा भारत में किसी अन्य स्थान पर, जब कभी, प्राधिकरण की राय में, ऐसा करना समीचीन हो, भी बैठकें आयोजित कर सकेगा।

- (2) अध्यक्ष प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए अग्रिम रूप से, तारीख, स्थान और कार्यसूची विनिश्चित करेगा।
- (3) सचिव, और ऐसे अन्य अधिकारी और व्यक्ति जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाए, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेंगे।
- (4) यदि अध्यक्ष, किसी कारणवश, प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं, तो बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (5) प्राधिकरण, बैठक में किसी सदस्य के उपस्थित न होने पर अनुपस्थिति के संबंध में अनुमति प्रदान कर सकेगा और ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित की जाएगी।
- (6) ऐसा कोई सदस्यजो किसी कारणवश किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लेने का विकल्प चुन सकेगा।
- (7) जब कभी आवश्यक समझा जाए, कोई संव्यवहार सदस्यों को किसी कार्यवृत्त के परिचालन द्वारा पारित किसी संकल्प के माध्यम से किया जा सकेगा:

परन्तु सदस्यों को कार्यसूची के परिचालन के माध्यम से पारित संकल्प, प्राधिकरण की आगामी बैठक के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा।

- (8) प्राधिकरण के विचारार्थ रखे गए मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।
- (9) प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी, जिनमें से कम से कम एक सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा।
- (10) प्राधिकरण सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में बनाए रखेगा जो अलग-अलग पृष्ठों में, विधिवत् रूप से संख्यांकित, जिल्द के रूप में हो सकेंगी।

- (11) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त की एक प्रति यथासंभव शीघ्र सदस्य द्वारा पुष्टि किए जाने के लिए परिचालित की जाएगी।
- (12) पुष्ट कार्यवृत्त उत्तरवर्ती बैठक में अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसके पश्चात् अभिलेख पर लिया जाएगा।
- (13) कोई सदस्य, जो किसी मामले में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई धनीय हित रखता है, जिसे प्राधिकरण की किसी बैठक में विचारार्थ लिया गया है, सुसंगत परिस्थितियों के पश्चात् यथासंभवशीघ्र उसकी जानकारी में आया है, ऐसी बैठक में उसके हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटीकरण प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा सदस्य प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श अथवा निर्णय में उस मामले के संबंध में भाग नहीं लेगा।
- (14) यदि किसी बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई शंका उत्पन्न होती है तो, उसे अध्यक्ष के या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य के समक्ष रखा जाएगा, इस संबंध में जिसका निर्णय अंतिम होगा।

4. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति.- किसी ऐसी परिस्थिति जो इन नियमों में उपबंधित नहीं है, में अध्यक्ष, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, किसी विशिष्ट मामले में प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

5. प्रक्रिया की किन्हीं अनियमितताओं का प्रभाव.- प्राधिकरण का कोई कार्य अथवा कार्यवाही मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी कि इस प्राधिकरण की कार्यवाही में कोई अनियमितता है और इस मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल-I]
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2019

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 132 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Meeting for Transaction of Business) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Authority” means National Financial Reporting Authority constituted under sub-section (1) of section 132 of the Act;

(c) “chairperson” means the chairperson of the National Financial Reporting Authority appointed under sub-section (3) of section 132 of the Act;

(d) “full-time member” means a member who has been appointed as such under sub-section (3) of section 132 of the Act and includes the chairperson;

(e) “member” means any member, including the chairperson, so appointed under sub-section (3) of section 132 of the Act;

(f) “part-time member” means a member other than a full-time member, appointed as such under sub-section (3) of section 132 of the Act;

(g) “Secretary” means the Secretary of the Authority appointed under sub-section (11) of section 132 of the Act and includes an officer of the Authority authorised by the chairperson to function as Secretary.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Meetings for transaction of business and procedure thereof. – (1) The meetings of the Authority shall ordinarily be held at its head office situated in New Delhi for the purpose of discharging its functions:

Provided that the Authority may also hold meetings at its other offices or at any other place in India, whenever, in the opinion of the Authority, it is expedient to do so.

(2) The chairperson shall decide in advance, the date, time, place and the agenda for each meeting of the Authority.

(3) The Secretary, and such other officers and persons as permitted by the chairperson, shall attend a meeting of the Authority.

(4) If the chairperson, for any reason, is unable to attend a meeting of the Authority, the senior-most full-time member present at the meeting, shall preside at the meeting.

(5) The Authority may grant leave of absence to a member not present in the meeting and such leave of absence shall be recorded in the minutes of the meeting.

(6) Any member unable to be present in a meeting for any reason, may choose to participate in the said meeting through video conferencing.

(7) Wherever considered necessary, a business may be transacted by a resolution passed by circulation of an agenda to the members:

Provided that a resolution passed through circulation of the agenda to the members shall be placed before the next meeting of the Authority for ratification.

(8) Matters placed for consideration of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the chairperson or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.

(9) The quorum for a meeting of the Authority shall be four Members, of which at least one member shall be a full-time member.

(10) The Authority shall cause the minutes of all the proceedings to be maintained in the books kept for the purpose which may be in the form of binders containing loose leaves, duly numbered.

(11) A copy of draft minutes of the proceedings of each meeting of the Authority shall be circulated as soon as possible for confirmation by the members.

(12) The confirmed minutes shall be signed by the chairperson or the member presiding at the succeeding meeting, and taken on record thereafter.

(13) A member, who has any pecuniary interest, direct or indirect in any matter that is brought up for consideration at a meeting of the Authority, shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Authority, and such member shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority with respect to that matter.

(14) If any doubt arises in the procedure to be adopted in a meeting, the same shall be placed before the chairperson or in his absence, the member presiding, whose decision in this regard shall be final.

4. Power to regulate procedure in certain circumstances. – In a situation not provided for in these rules, the chairperson may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

5. Effect of any irregularities of procedure.-No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of any irregularities in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

[F. No. 1/4/2016-CL-I]
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.